



सोशल मीडिया सेल

**MAHOBA POLICE**

दिनांक:- 05.11.2020

## महोबकण्ठ पुलिस ने गिरफ्तार किया वारन्टी अभियुक्त



आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम उ०नि० सूरज प्रसाद मय हमराहियान के मुखबर खास की सूचना पर 01 नफर वारन्टी अभियुक्त साधूराम पुत्र सीताराम रावत उम्र करीब 48 वर्ष, नि०ग्राम रिवाई थाना महोबकंठ जनपद महोबा, सम्बन्धित मु०नं० 37/19 व मु.अ.सं. 49/2018 धारा 379/411 भादवि व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम को ग्राम रिवाई से गिरफ्तार कर सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

साधूराम पुत्र सीताराम रावत उम्र करीब 48 वर्ष, नि०ग्राम रिवाई थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० सूरज प्रसाद
2. कां० प्रभूजी मिश्रा



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



## महोबकण्ठ पुलिस ने गिरफ्तार किया वाँछित अभियुक्त



आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष महोबकण्ठ दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम उ०नि० दशरथ सिंह मय हमराह कां० शिवनारायण सिंह के मु.अ.सं. 162/20 धारा 307/324/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर वाँछित अभियुक्त भज्जू पुत्र बट्टी राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष, नि०ग्राम उमरई थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा को उमरई तिराहा से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

भज्जू पुत्र बट्टी राजपूत उम्र करीब 30 वर्ष, नि०ग्राम उमरई थाना महोबकण्ठ जनपद महोबा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० दशरथ सिंह
2. कां० शिवनारायण सिंह



सोशल मीडिया सेल

MAHOBA POLICE

दिनांक:- 05.11.2020

खन्ना पुलिस द्वारा “यातायात माह” के तहत आटो/ई-रिक्शा चालको को दिये सुरक्षा सम्बन्धी टिप्स एवं किया गया जागरुक

साथ ही दो-पहिया वाहन स्वामियों से हेलमेट व चार-पहिया वाहन में शीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए जागरुक किया गया।



आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे “यातायात जागरुकता अभियान” के तहत प्र0नि0 खन्ना श्री शिवआसरे मय फोर्स के कस्बा खन्ना में भ्रमण कर आटो-चालकों को यातायात के नियमों को बताया गया। जिसके तहत गाड़ी को सदैव निर्धारित गति से चालाना, वाहन चलाते समय फोन पर बात न करना एवं शराब पीकर कभी वाहन नहीं चलाने को कहा गया। इसके



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



## कुलपहाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किये 08 नफर वारन्टी



आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० कुलपहाड़ अनूप दुबे एवं गठित 02 टीमों द्वारा 08 नफर वारन्टी अभियुक्तों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- (1) रामचन्द्र पुत्र रतिराम उम्र 30 वर्ष, सम्बन्धित मु०न० 444/2019 धारा 451/323/504/506 भादवि थाना महोबकण्ठ, महोबा
- (2) रतिराम पुत्र लछुवा उम्र करीब 70 वर्ष, सम्बन्धित मु०न० 444/2019 धारा 451/323/504/506 भादवि थाना महोबकण्ठ, महोबा
- (3) इन्द्रा उर्फ इन्द्रपाल पुत्र लक्ष्मी राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष, सम्ब० मु०न० 51/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट
- (4) वीरेन्द्र राजपूत पुत्र अलखराम राजपूत उम्र करीब 27 वर्ष, सम्ब० मु०न० 54/18 अ०सं० 183/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

लगातार.....





(5) इन्द्रपाल पुत्र जंगी लोधी उम्र करीब 35 वर्ष, सम्ब0 मु0नं0 353/2011 अ0सं0- 2080/2007 धारा 60 आबकारी अधिनियम समस्त निवासी गण ग्राम अण्डवारा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।

(6) गोविन्द दास पुत्र कल्लू उर्फ कालीचरन उम्र करीब 36 वर्ष, नि0मु0 मलियाना व कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा, सम्ब0 मु0नं0 231/19 अ0सं0 118/2017

धारा 60 EX. ACT

(7) चत्तू पुत्र कुट्टा कांछी उम्र करीब 65 वर्ष, नि0मु0 घुसियाना कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा, सम्ब0 मु0नं0 72/12 अ0सं0 321/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

(8) मातादीन पुत्र बलराम अहिरवार उम्र 50 वर्ष, सम्ब0 मु0नं0 60/13 NCR NO 159/12

धारा 323/504 भादवि

समस्त निवासी गण मुहल्ला घुसियाना कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रथम:-

- 1- प्र0नि0 अनूप कुमार दुबे
- 2- उ0नि0 रघुनाथ यादव
- 3- उ0नि0 छेदीलाल सिंह
- 4- उ0नि0 कमलाकान्त मिश्रा
- 5- कां0 रनधीर सिंह
- 6- कां0 हरीप्रताप सिंह

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम द्वितीय:-

- 1- उ0नि0 सुनील कुमार तिवारी
- 2- हे0कां0 सूरज सिंह
- 3- हे0 कां0 रामसूचित तिवारी
- 4- कां0 शिवम मौर्य
- 5- कां0 राहुलअग्निहोत्री





सोशल मीडिया सेल

**MAHOBA POLICE**

दिनांक:- 05.11.2020

## पनवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया वारन्टी अभियुक्त



आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० पनवाड़ी विनोद कुमार यादव द्वारा गठित टीम व०उ०नि० अनिरुद्ध प्रताप सिंह मय हमराही के मुखबिर खास की सूचना पर ०१ नफर वारन्टी रूप सिंह पुत्र दीना निवासी ग्राम बुड़ेरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा, सम्बन्धित मु०नं० ११/२०१९ धारा ६० आबकारी अधिनियम को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रूप सिंह पुत्र दीना निवासी ग्राम बुड़ेरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- १- व०उ०नि० अनिरुद्ध प्रताप सिंह
- २- उपनिरीक्षक शेरेआलम खां



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



सोशल मीडिया सेल

MAHOBA POLICE

दिनांक:- 05.11.2020

“मिशन शक्ति” अभियान के तहत महिला थाना/एण्टी रोमियों टीम द्वारा छात्राओं को किया गया जागरुक

1090,181,112,1076 के बारे में बताया गया। इसके साथ ही उन्हें महिला थाने का नं० भी दिया गया। जिससे 24 घण्टे कभी भी फोन कर अपनी समस्या को बता सकती हैं।



आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में उ०नि० सुषमा चौधरी प्रभारी महिला थाना मय फोर्स एवं एण्टी रोमियो टीम के साथ नगर के रामकथा मार्ग में जाकर नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाये जा रहे महाभियान **"मिशन शक्ति"** के तहत कोचिंग पढ़ने वाली छात्राओं को जागरुक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नम्बर-



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



सोशल मीडिया सेल

MAHOBA POLICE

दिनांक:- 05.11.2020

## चरखारी पुलिस ने अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार



आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की बरामदगी अभियान के तहत प्र०नि० चरखारी श्रवण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम उ.नि. शिवरतन गुप्ता मय हमराहियान के मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त जसवन्त सिंह पुत्र बिहारी लाल अहिरवार उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जिला महोबा को बफरेता चौराहे से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **एक नीले रंग के झोले में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब नजायज** बरामद हुई। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय में **मु.अ.सं. 304/20 धारा 60 EX. ACT** पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जसवन्त सिंह पुत्र बिहारी लाल अहिरवार उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम करहरा खुर्द थाना चरखारी जिला महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SI शिवरतन गुप्ता
2. का० अरविन्द कुमार पाल
3. का० हिमांशु पाल



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330





सोशल मीडिया सेल

**MAHOBA POLICE**

दिनांक:- 05.11.2020

**\*कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 13650/-  
रु0 का जुर्माना एवं "यातायात माह" के तहत तहत  
किये गये 37 ई-चालान\***



आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में **कोविड-19** का पालन कराये जाने तथा **"यातायात माह"** यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त

थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत **कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन** पर समस्त थानों द्वारा **कोविड-19 के तहत 73 व्यक्तियों से 13650/-रु0** जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर **37 ई-चालान** भी किया गया।

जागरुकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरुक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।





सोशल मीडिया सेल

**MAHOBA POLICE**

दिनांक:- 05.11.2020

## कबरई पुलिस द्वारा "यातायात माह" के तहत ट्रक चालकों को दिये सुरक्षा सम्बन्धी टिप्स एवं किया गया जागरूक

आज दिनांक 05.11.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे **"यातायात जागरूकता अभियान"** के तहत प्र०नि० थाना कबरई श्री दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा मय फोर्स के कबरई क्षेत्र में भ्रमण कर ट्रक-चालकों से संवाद स्थापित करते हुये यातायात के नियमों को बताया गया। जिसमें गाड़ी को सदैव निर्धारित गति से चालाना, वाहन चलाते समय फोन पर बात न करना एवं शराब पीकर कभी वाहन नहीं चलाने को कहा गया। इसके साथ ही दो-पहिया वाहन स्वामियों से हेलमेट व चार-पहिया वाहन में शीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330